[illegible] कार्यवाही / [illegible] 
वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली
12-4-22 को पेश हो

12-4-22 पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई वादी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी जिसके वर्तमान खसरा नं. 111 रकबा रकबा 1.81 हैक्टर है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वजो को आवंटन हुई थी वक्त आवंटन सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा सख्या 60 रकबा 252 बीघा 4 बिस्वा थे सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा सं. 60 मे से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वजो को आवंटन हुआ था सेटलमेन्ट के पश्चात नये खसरा नम्बर बनाते समय खसरा सख्या

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | गलत दर्ज कर दिये जिसके कारण आवान्टियो को खसरा मौके पर चेन्ज हो गये । विवादित आराजी ख.न. 111 को भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग मे अवाप्त किया जा चुका है जिसका मुआवजा प्रार्थीगण को मिलना चाहिए अप्रार्थी स.1 को अ अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि व अवाप्त ख.स.111 का मुआवजा राशी प्राप्त नही करे। |
| | अप्रार्थीगणसंख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस को विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ख.न 111 रकबा 1.81 हैक्ट अप्रार्थी स.1 के पूर्वजों को आवन्टन हुआ था जिसपर अप्रार्थी स.1 पूर्वजो के समय से अबतक कब्जा काश्त करते रहे है उक्त ख.स.111 भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग मे अवाप्त किया जा चुका है जिसकी मुआवजा राशी भी अप्रार्थी स.1 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करवाया जावे। |
| | हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थी स.1 हीरालाल के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है |

Scanned with CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| उक्त विवादित आराजी ख.नं. 111 वर्ष 2019 में ही अवाप्त किया जाकर उसका अवार्ड जारी किया जा चुका है. जबकि प्रार्थीगण द्वारा 15-10-2020 को प्रार्थनापत्र पेश किया है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति कारित होना प्रार्थीगण सिद्ध करने में असफल रहे है तथा अवाप्त भूमि के जारी अवार्ड के विरुद्ध अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। | |
| (हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>[illegible] (बून्दी) | |